ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति लता देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति शकुन्तला देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति शीला ठाकुर	01.04.14 से 15.09.16
2	श्रीमति रतो देवी	15.09.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	**4.1**	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	**-**
2	**5**	शादी की पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूली	**0.02**
3	**6**	अनुदान का उपयोग न करना	**28.03**
4	**7**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**1.36**
5	**8**	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	**2.07**
6	**10**	पंचायत निधि का सम्भावित दुरुपयोग	**0.07**

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.09.17 से 07.10.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	02/2015	11/2014
2015-16	09/2015	10/2015
2016-17	12/2016	10/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 512(a) दिनांक 07.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 930157 (KCCB) दिनांक 11.10.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत मन्वी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत मन्वी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	114604	5816	120420	19631	100789
2015-16	100789	13292	114081	15620	98461
2016-17	98461	40107	138568	1508	137060

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत मन्वी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	532488	1998759	2531247	1378415	1152832
2015-16	1152832	2439807	3592639	1907523	1685116

2016-17	1685116	3448728	5133844	2331312	2802532

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

(1) दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹137060

अनुदान :-

(2) दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2802532

1+2 का योग ₹2939592

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2939486

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹106

अन्तर : शून्य

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN-A, KCCB -62073	136954
13th & 14th FC, PNB -40509	1950141.80
RAY, PNB- 23024	3557.24
GEN-B, KCCB -61068	415959
SDP, KCCB- 91219	380916
HARYALI, KCCB-53783	51958
HARYALI, KCCB-553772	0
MNREGA, UCO -11400	0
कुल राशि	**2939486.04**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत मन्वी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.02 लाख की कम वसूली :-

(i) सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि अवधि 01.11.16 से 31.03.17 तक निम्नविवरणानुसार ₹1975 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें । विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण	**नाम**	**शादी की दिनांक**	**पंजीकरण की**	**कम वसूली गई**

रजिस्टर क्रमांक संख्या			दिनांक	पंजीकरण राशि
10	श्री उत्तम चन्द	14.10.16	02.11.16	200.00
11	श्री मान चन्द	02.11.16	08.11.16	200.00
12	श्री प्रकाश चन्द (BPL)	20.10.16	11.11.16	25.00
13	श्री पीरू राम	19.10.16	16.11.16	200.00
14	श्री जगदीश चन्द	24.11.16	07.12.16	200.00
16	श्री ज्ञान चन्द	08.12.16	08.12.16	200.00
18	श्री कश्मीर सिंह	02.11.16	17.01.17	400-100=300
19	श्री ओंकार चन्द (BPL)	15.01.17	01.02.17	25.00
20	श्री देश राज	03.02.17	08.02.17	200.00
21	श्री रणजीत सिंह	01.02.17	17.02.17	200.00
22	श्री विVaसागर (BPL)	06.02.17	21.02.17	25.00
23	श्री रमेश कुमार	14.02.17	04.03.17	200.00
		कुल कम वसूली		1975.00

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 512 दिनांक 06.10.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 15 दिनांक 07.10.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त फीस की वसूली नहीं की गई थी। अतः ₹1975 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

(ii) रसीद संख्या 103467 दिनांक 02.12.16 **द्वारा** शादी पंजीकरण के रूप में ₹200 की वसूली की गई थी लेकिन पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाये गए थे। अंकेक्षण के दौरान कम जमा ₹200 की वसूली उचित स्त्रौत से करने हेतु कहा गया था, जिसकी अनुपालना में दिनांक 07.10.17 को निधि खाता संख्या 62073(KCCB) में जमा कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

6 अनुदान ₹ 28.03 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2802532 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.36 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में

दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹136114 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹2.07 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में भण्डार रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिससे क्रय सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹206709 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार खपत विवरण सहित भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 क्रय में ₹315 का अधिक/अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 5/1 दिनांक 28.10.15 (13वें वित्त आयोग) की जांच में पाया कि मैसर्ज देवी दास एंड सन्स से बिल संख्या 6210 दिनांक 27.10.15 **द्वारा** स्टील के क्रय के एवज में ` 12501/- का भुगतान किया गया था । जांच में पाया कि उक्त बिल में 10 mm स्टील 201.50 किलोग्राम का क्रय ₹36/- प्रति किलोग्राम की दर में किया गया था, जिसके लिए ₹7254/- + 5% VAT देय था, जबकि भुगतान ` 7554/- + 5% VAT का किया गया था अर्थात उक्त बिल में ` 300/- + 5% VAT का अधिक भुगतान किया गया था । जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 512 दिनांक 06.10.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 15 दिनांक 07.10.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹315/- की वसूली रसीद संख्या 119848/155 दिनांक 07.10.17 **द्वारा** करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या 62073 (KCCB) में जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी ।

10 ₹0.07 लाख का संदिग्ध भुगतान: –

जांच में पाया कि वाउचर संख्या 43 दिनांक 07.10.15 (सामान्य रोकड़ वही) की जांच में पाया कि बिल संख्या 2 दिनांक 07.10.15 में मैसर्ज जोगिंदर सिंह से निर्माण कार्य " नि. शोक्ता पिट, वार्ड-6" के लिए ` 4600/- की निर्माण सामग्री का क्रय करके भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार वाउचर संख्या 55 दिनांक 26.10.15 (सामान्य रोकड़ वही) की जांच में पाया कि बिल संख्या 2 दिनांक 07.10.15 में भी मैसर्ज जोगिंदर सिंह से निर्माण कार्य " नि. शोक्ता पिट, वार्ड-5" के लिए ₹6900/- की निर्माण सामग्री का क्रय करके भुगतान किया गया था । अतः आपूर्तिकर्ता **द्वारा** दिनांक 07.10.15 को एक ही क्रम संख्या 2 के अलग-अलग बिल जारी करके निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त बिलों में क्रय सामग्री की खपत से संबन्धित

अभिलेख भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में अंकेक्षण अवधि में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 38/2017 खण्ड–1–1930–1933 दिनांक 17.3.2018शिमला–09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मन्वी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881